

RMS 2018/01289
NO.

राजस्व लोक अदालत केम्प भाखरसर तहसील पचपदरा
न्यायालय सहायक कलेक्टर (एस.डी.ओ.) बालोतरा
पीठासीन अधिकारी : श्री भागीरथ राम, आर.ए.एस
मुकदमा न0 49/2018

- अपीलाण्ट :- 1 पपीयाराम वल्द नेनाराम कौम माली निवासी गुंदावाड़ी
बनाम
रेस्पोंडेन्ट :- 1 भेराराम, जेठाराम पि0 नेनाराम कौम माली निवासी गुंदावाड़ी ।
2. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार पचपदरा

अपील अंतर्गत धारा 75 रा.भू.राजस्व अधिनियम विरुद्ध

आदेश

दिनांक:-8.06.2018

यह अपील अपीलान्ट के द्वारा अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 के अन्तर्गत राजस्व लोक अदालत न्याय आपके द्वार ग्राम पंचायत भाखरसर में प्रस्तुत की गई है।

सक्षिप्त में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि मूल ग्राम गुंदावाड़ी के खसरा न0 3927,3803,3805,4243/3931,4288/3807 में अपीलान्ट का नामन्तरकरण संख्या 1255 में दर्ज करते समय अशुद्ध नाम कालूराम पुत्र नेनाराम दर्ज किया गया है। जबकि सही नाम सरकारी दस्तावेज के अनुसार पपीयाराम वल्द नेनाराम है अतः अपीलान्ट का सही नाम पपीयाराम वल्द नेनाराम करने का निवेदन किया है।

उपस्थित पक्षकारान एवं सरपंच ग्राम पंचायत भाखरसर, के ब्यान अनुसार व पपीयाराम द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज पहचान पत्र आधार कार्ड, परिचय पत्र, राशनकार्ड व पटवारी पाटौदी /आरआई पाटौदी/उप तहसीलदार पाटौदी की रिपोर्ट का अवलोकन किया गया जिसके अनुसार अपीलान्ट का राजस्व रेकॉर्ड में कालूराम पुत्र नेनाराम की जगह पपीयाराम वल्द नेनाराम नाम दर्ज करने की सिफारिश की है।

पत्रावली व पत्रावली के संलग्न दस्तावेज का अवलोकन व अध्ययन किया गया। अपीलान्टगण को सुना गया। मजमे आम में उपस्थित लोगो से पूछताछ की गई। समस्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाती है। अपीलान्ट का अशुद्ध नाम कालूराम पुत्र नेनाराम की जगह पपीयाराम वल्द नेनाराम नाम दर्ज करने के आदेश जारी दिए जाते हैं।

आदेश राजस्व लोक अदालत न्याय आपके द्वार में सुनाया गया।

पत्रावली फौसल सुमार होकर के दाखिल दफतर हो

(भागीरथ राम)

पीठासीन अधिकारी लोक अदालत/कोर्ट केम्प-2018
उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलेक्टर
बालोतरा केम्प...